संख्या-919/2018/950/22-2-2018-17(106)/2014

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री बाबूराम यादव निवासी जनपद-फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21770/प्रोबे0-5-दया0(बैठक 15-05-2018) दिनांक 14.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री बाबूराम यादव, जो-ग्राम-मंगदपुर, थाना-वाह, जनपद-आगरा वर्तमान पता-मनधाती, थाना-एका, जनपद- फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मां का किये गये अपहरण की रंजिश को लेकर दिनांक 23.11.1979 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-470/1979 में भा0द0वि0 की धारा- 396/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनांक 08.04.1983 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिससे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.1983 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.02.2018 तक 20 वर्ष 09 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 06 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जबकि जिला मजिस्ट्रेट को बन्दी की समयपूर्व मुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है लेनि दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी भूरा (बन्दी संख्या-8284) पुत्र श्री बाबूराम यादव निवासी जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-919/2018/950(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।